

बिल का सारांश

मुसलमान वक्फ (रिपील) बिल, 2024

- मुसलमान वक्फ (रिपील) बिल, 2024 को 8 अगस्त, 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। यह बिल मुसलमान वक्फ एक्ट, 1923 को निरस्त करता है। एक्ट वक्फ संपत्ति के प्रबंधन, और उनके खातों को रखने और प्रकाशित करने का प्रावधान करता है। एक्ट के अनुसार, मुस्लिम कानून के तहत धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ माने जाने वाले कारणों से अगर कोई मुसलमान व्यक्ति किसी संपत्ति को समर्पित करता है, वह वक्फ कहलाएगी। यह एक्ट वक्फ एक्ट, 1995 के तहत आने वाले वक्फ पर लागू नहीं होता है।

अस्वीकरण: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार की गई है। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी की मूल रिपोर्ट से इसकी पुष्टि की जा सकती है।